

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 17/2023

दायर दिनांक 13.02.2023

उनवान
पिंकी वगै.

अप्रार्थीगण/वादीगण

वनाम

भंवरीबाई वगै.

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :-

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 4 :- श्री प्रेमचन्द चौधरी

अप्रार्थीगण/वादीगण :- श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश

दिनांक 23.06.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी इस आशय से पेश किया कि यह कि उक्त वाद वादीगणों द्वारा माननीय न्यायालय में जिस वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पेश किया है एवं वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार रामविलास पि. मथुरालाल को जो आवश्यक पक्षकार है। वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाकर माननीय न्यायालय में मूल वाद पेश किया है। यह कि वादीगणों के द्वारा पेरा वाद माननीय न्यायालय को पूर्ण तथ्यों से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात के सभी खातेदारों को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश वाद- प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण चलने योग्य नहीं होने से वाद वादी खारीज किये जाने की कृपा करे।

2. अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से 4 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही वहस करने का निवेदन किया।




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

1



3. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभिभाषक प्रतिवादी/प्रार्थी सं. 1 से 4 द्वारा बहस प्रार्थना पत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम गडारा पटवार हल्का गुण्दी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 370/44 में वादीगण/अप्रार्थीगण न तो अभिलिखित खातेदार है और न ही अभिलिखित सहखातेदार है जबकि धारा 188 आर.टी.एक्ट के वाद पेश करने के लिए पहली आवश्यकता खातेदार होना है। वादीगण अजनवी पक्षकार है जिनका कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। वादीगण ने वादपत्र के मद कम 2, 3, 4, 6, 7 में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता रामविलास के सहखाते दर्ज है। अन्य सहखातेदार केता प्रतिवादी सं. 1 व 4 है। जब वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते व कब्जे में नहीं है तो न तो वादीगण के खातेदारी अधिकारो का उल्लंघन हुआ है और न ही वादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है। अतः वाद हेतुक के अभाव में वादीगण का वाद खारीज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि अजनवी वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश नहीं किया है और खातेदार घोषित हुए बिना धारा 188 आर.टी.एक्ट में वादीगण को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा इस न्यायालय में पेश अन्य वाद सुमित्राबाई बनाम रामविलास भी इस न्यायालय से खारीज हो चुका है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार पिता रामविलास पुत्र मथुरालाल हिस्सा 1/2 को पक्षकार नहीं बनाया गया है केवल केतागण अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाया है जिनके विरुद्ध वादीगण का कोई कारण हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(अ) सीपीसी के अधीन खारीज किये जाने योग्य है।

4. अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त बहस प्रार्थना पत्र का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ से भिन्न है और प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ से भिन्न बहस नहीं की जा सकती है। आगे तर्क किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने वादपत्र के मद कम 4 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत



U
उपखण्ड अधिकारी
पिठवा, जिला मालवा (राज.)

खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद सं. 136/2016 सुमित्राबाई बनाम रामविलास पूर्व से लंबित है जबकि धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र निर्णित हो चुका है और वादग्रस्त आराजी पर रथगन आदेश प्रभावी है। आगे तर्क किया कि वादीगण को फसल काश्त करने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 लडाई झगडा कर रोक रहे है। खातेदार रामविलास न तो लडाई झगडा कर रहा है और न ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। अतः फसल काश्त करने में प्रतिवादीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। अतः वाद में स्पष्टतः प्रार्थीगण के विरुद्ध वाद हेतुक उत्पन्न होता है।

5. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व संलग्न दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम गडारा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 370/44 रकबा 1.0749 है. में पिता रामविलास पुत्र मथुरा के हिस्सा 1/2 पर प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 188, 209 आर. टी.एक्ट में वाद पेश किया गया है। ग्राम गडारा की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2074-77 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण न तो अभिखिल खातेदार है और न ही अभिलिखित सहखातेदार है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के पिता रामविलास पि. मथुरा हिस्सा 1/2 के अभिलिखित सहखातेदार है लेकिन वाद में रामविलास पि. मथुरा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सहखातेदार रामविलास ने प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की है और न ही प्रकरण में पक्षकार बनने का कोई आवेदन पेश किया है। धारा 188 आर.टीएक्ट का वाद पेश करने के लिए वादी या वादीगण को खातेदार (tenant) होना आवश्यक शर्त है। अगर वादी खातेदार नहीं है तो वादग्रस्त आराजी में उसके खातेदारी अधिकार भी निहित नहीं माने जावेगे। जब वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार निहित नहीं है तो फिर अधिकारो का उल्लंघन या अतिक्रमण होना भी जाहिर नहीं है और न ही कोई अपूरनीय क्षति होना जाहिर है। हस्तगत प्रकरण में धारा 188 आर.टी. एक्ट के प्रावधानो का अवलोकन निम्नानुसार है-



सुभद्रा जिला अधिकारी
सुभद्रा जिला (उप. ०)

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. धारा 188 आर.टी.एक्ट के वाद के लिए वादी का टीनेन्ट होना आवश्यक है अन्यथा प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा। अप्रार्थीगण न तो अभिलिखत खातेदार है और न लगान का भुगतान करते है। अप्रार्थीगण न सहखातेदार है और न ही खुदकाश्त टीनेन्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) में टीनेन्ट को परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है -

(43) "**Tenant**" shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention appear, shall include-

(a) in the Abu area, a permanent tenant or a protected tenant, (b) In the Ajmer area, an ex-proprietary tenant or an occupancy tenant or a hereditary tenant or a non-occupancy tenant or a Bhooswami or a Kashtkar, (c) In this Sunel area, an ex-proprietary tenant or a pakka tenant or an ordinary tenant, (d) a co-tenant, (e) a grove-holder, (f) a village servant, (ff) a tenant holding from a land owner, (g) a tenant



4/2
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला बालसवाड़ (राज.)

of Khudkasht, (h) a mortgagee of tenancy rights, and (i) a sub-tenant,

But, shall not include a grantee at a favourable rate of rent or an Ijaredar or thekadar or a trespasser

7. प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; (e) where it is not filed in duplicate; (f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

8. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:-

उपखण्ड अधिकारी
पिड्याय, जिला अरसिकोड (रज.०)



“While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected”.

9. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-7 नियम-11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation so that further judicial time is not wasted”.

10. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent. The sword of Damocle



4
उपखण्ड अदालत
पिढावा, जिला जहानपुर (राज.)

need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection”.

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised”.


उपखण्ड अधिकारी
पिडवावा, जिला ~~अहमदाबाद~~ (राज०)



12. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The remedy under Order VII Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the threshold, without proceeding to record evidence, and conducting a trial, on the basis of the evidence adduced, if it is satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection



४
उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिल्हा अहमदाबाद (उप०)

of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13”.

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code”.

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4993/2012 उनवान Ponnala Lakshmaiah vs Kommuri Pratap Reddy में दिनांक 06.07.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The Courts need to be cautious in dealing with requests for dismissal of the petitions at the threshold and exercise their powers of dismissal only in cases where even on a plain reading of the petition no cause of action is disclosed”.

16. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम



42
उपखण्ड अधिकारी
पिड़वा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)


न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed”.

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3038/2008 उनवान Kamala & Ors vs K.T. Eshwara Sa & Ors में दिनांक 29.04.2008 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“15. Order VII, Rule 11(d) of the Code has limited application. It must be shown that the suit is barred under any law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. Different clauses in Order VII, Rule 11, in our opinion, should not be mixed up. Whereas in a given case, an application for rejection of the plaint may be filed on more than one ground specified in various subclauses thereof, a clear finding to that effect must be arrived at: What would be relevant for invoking clause (d) of Order VII, Rule 11 of the Code is the averments made in the plaint. For that purpose, there cannot be any addition or subtraction. Absence of jurisdiction on the part of a court can be invoked at different stages and under different provisions of the




उपखण्ड अधिकारी
पिढावा, जिला अलवर (राज.)

Code. Order VII, Rule 11 of the Code is one, Order XIV, Rule 2 is another”.

“16. For the purpose of invoking Order VII, Rule 11(d) of the Code, no amount of evidence can be looked into. The issues on merit of the matter which may arise between the parties would not be within the realm of the court at that stage. All issues shall not be the subject matter of an order under the said provision”.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13”.

19. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय




11


उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिला महाराष्ट्र (राज.)

में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:- "If on a meaningful reading of the plaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra. A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh, 13 held that the Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted".



20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:- "There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation


उपरखण्ड अधिकारी
पिढावा, जिला अंतर्गत (गणक)

12

according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities”.

21. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के ग्राम गडारा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 370/44 रकबा 1.0749 है. में अभिलिखित खातेदार/सहखातेदार/खुदकाशत खातेदार/भूधाकर लगान का संधारण करने वाला नहीं होने से, और प्रार्थीगण द्वारा कोई खातेदारी अधिकारो का अतिक्रमण/उल्लंघन नहीं करने से अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट में कोई कारण हेतुक उत्पन्न (cause of action) नहीं होने के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह स्थापित विधि का सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 (अ) सीपीसी के प्रार्थना पत्र को निर्धारित करते समय केवल वाद पत्र में अंकित तथ्यों का ही अवलोकन व पठन किया जाना चाहिए, न कि सम्पूर्ण दस्तावेजों का। शेष तथ्यों व दस्तावेजों का अभिनिर्धारण तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। ग्राम गडारा की वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता रामविलास पि. मथुरा हिस्सा 1/2 का सहखातेदार है लेकिन रामविलास ने यह वाद पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण/वादीगण पेश दस्तावेजो के आधार पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को लेकर एक प्रकरण सं. 136/2016 सुमित्राबाई बनाम रामविलास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा में पेश किया गया था जिसमें हस्तगत वाद सं. 17/2023 पिकी बनाम भंवरीबाई से भिन्न प्रतिवादीगण है। उक्त वाद वर्तमान में लंबित



13


उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला अहमदाबाद (गुजरात)

है या नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। धारा 188 आर.टी.एक्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण को रिकार्डेड टीनेन्ट होना आवश्यक है लेकिन धारा 5(43) आर.टी.एक्ट की परिभाषानुसार वादीगण खातेदार टीनेन्ट नहीं है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (अ) सीपीसी, अप्रार्थीगण के वादपत्र तथा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र के आधार पर हरतगत प्रकरण में वादीगण का प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरुद्ध स्पष्ट रूप से वाद हेतुक (Cause of action) उत्पन्न नहीं होना जाहिर है। नियम 7 के उपनियम 'क' की शब्दावली- " Where it does not disclose a cause of action" का आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 'क' के अन्तर्गत वाद खारिज करते समय यह देखना आज्ञापरक है कि दावा/वादपत्र कारण रहित तो नहीं है।


22. वोदुराम बनाम गणेश 2019(1)आरआरटी 268 मामले में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-order 7, Rule 11-Suit for permanent injunction on the basis of long possession-Application filed to reject the suit dismissed-Contention that the plaintiff is not a khatedar tenant therefore suit is barred by the law-Only tenant is entitled to file the suit for for perpetual injunction-Held, Order set aside and the suit is rejected being barred by law".

23. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (अ) सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 (अ) सहपठित धारा 151 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.) 14